प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीय सहायता की राशि को खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं।

वित्त मंत्रालय पहले ही राज्य सरकारों को तीन बराबर किस्तों में 75% निधियां जारी कर चुका है। राज्यों को 25% अंतिम किस्त खर्च की प्रगति और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन को ध्यान में रखकर जारी की जाएगी।

मध्य प्रदेश में किसानों को विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय योजनाएं

1451. **श्री अजीत जोगी:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में किसानों को पर्याप्त विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई तथा उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में किसानों को पर्याप्त विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में कोई योजना शुरू नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Assistance to Andhra Pradesh for Resurvey of Land

1452. DR. Y. LAKSHMI PRASAD:
DR. D. VENKATESHWAR RAO:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the outcome of the meeting of State Revenue Ministers held in New Delhi on January 28, 1997;

(b) the action taken to publish village-wise land records with survey numbers and the names of occupants in all the states;

(c) whether the Andhra Pradesh Government has sought an assistance of Rs. 120 crores to take up resurvey of land; and

(d) if so, the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VERMA): (a) The meeting of the State Revenue Minister's held in New Delhi on January 28, 1997 adopted 33 valuable recommendations which include time bound distribution ceiling surplus land, Bhoodan land and Government Wastelands, involvement of Panchayati Raj Institutions in land reforms and land revenue administration, restoration of alienated tribal land, updation of land records including taking up cadastral survey & settlement operations in States where the same is overdue and implementation of various other land reforms measures.

(b) Publication of village-wise land records with survey numbers and the names of occupants is done during the revisional survey settlement operation, whenever the same is taken up by any State. The State laws prescribe different periodicity for different States to take up such revisional survey settlement operations, and hence, it cannot be taken up in all the States in a particular year or even in a particular Five Year Plan period.

(c) and (d) No such proposal has been received from the State of Andhra Pradesh and hence, the question of taking any action does not arise.

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पंजाब को आबंटित राशि

1453. **श्री इकबाल सिंह:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान पंजाब में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किए गए कार्यक्रमों का जिला वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी राशि आबंटित की गई;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि तुलनात्मक रूप से कम थी; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या आवश्यक कार्रवाही की और उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार को कितनी अतिरिक्त धनराशि आबंटित की गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) जवाहर रोजगार योजना 1.4.1989 से पंजाब के सभी जिलों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर) में कार्यान्वित की जा रही है। कार्यक्रम के अन्तर्गत दो उप-योजनाएं अर्थात् इंदिरा आवास योजना और दस लाख कुंओं की योजना 31 दिसम्बर, 1995 तक कार्यान्वित की गई थी किन्तु पंजाब को राज्य सरकार के अनुरोध पर राज्य को दस लाख कुंओं को योजना के कार्यान्वयन से छूट दी गई थी। जो राशि दस लाख कुओं की योजना के लिए निर्धारित की गई थी वह इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवासों के निर्माण के लिए उपयोग में लाई गई थी। 1.1.1996 से जवाहर रोजगार योजना को तीन स्वतंत्र योजनाओं में विभाजित कर दिया गया था अर्थात् जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना और दस लाख कुंओं की योजना। अब सभी तीनों योजनाओं को पंजाब के सभी जिलों में स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पंजाब को आवंटित राशि निम्न प्रकार है:—

(रुपए लाख में)

वर्ष	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्र द्वारा जारी राशियां
1994-95	1359.41*	2736.89**
1995-96	1575.94*	787.97
1996-97	871.51	546.45 (फरवरी 97 तक)

*इंदिरा आवास योजना और दस लाख कुओं की योजना सहित

** पंजाब के चार सीमान्त जिलों के लिए 1994-95 के दौरान 1489.00 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करने सहित।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय आवंटन देश में कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के 43वें दौर पर आधारित हैं।

Strategy for Employment Generation and Distribution of Surplus Land

1454. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the strategy proposed for employment generation schemes and distribution of surplus land to push up rural development and tackle the poverty prevailing in rural areas, during the next five years;

(b) the details of land reforms to be undertaken; and

(c) what are the other basic minimum services to be provided, country-wide?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VERMA): (a) and (b) Strategy for employment generation scheme and distribution of surplus land during next 5 years has been spelt out in the Approach Paper to the Ninth Five Year Plan. According to this, the programme for self employment and wage employment would continue in the Ninth Five Year Plan. These programmes would be redesigned to make them more effective as instruments of poverty alleviation. There will be a shift in strategy under IRDP, a self-employment programme, from an individual beneficiary approach to a group and/or cluster approach. This would facilitate higher investment level to ensure viability of projects. The training of rural youth for self employment (TRYSEM) will be revamped in its design, curriculum and method of training to improve employment opportunities for poor. A greater integration on Development of Women and Child in Rural Areas (DWCRA) with IRDP and TRYSEM will be attempted to provide